लोक अदालत अभियान
न्याय आपके दार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 04/2016

1. श्रीमति रतनी देवी पत्नी श्री देवीलाल
2. श्री पप्पूलाल
3. श्री भोलूराम
4. श्री फोरूराम
5. श्री सांवरा

पुत्रगण श्री देवीलाल

6. श्री दलपत पुत्र श्री छगना
7. श्री नाथूलाल पुत्र श्री कल्याण
8. श्री पप्पूलाल पुत्र श्री रामलाल
9. श्री ब्रह्माराम पुत्र श्री रामलाल

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मु0 बदाम पत्नी श्री कालू पुत्र श्री श्योकरण।
2. श्री रायचंद पुत्र श्री कालू
3. श्री प्रभु पुत्र श्री कालू
4. मंगली पुत्री श्री कालू

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः

1. श्री शान्ति प्रकाश ओझा, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक 31.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार 2017'' का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 19.01.1983 को केम्प गोरधा ग्राम चिकल्या में आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा श्री कालू पुत्र श्री श्योकरण जाति मीणा निवासी ग्राम चिकल्या के पक्ष में ग्राम चिकल्या के आराजी खसरा नम्बर 421/1 रकबा 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 421/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 1997 रकबा 1 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पूर्वज पिछले 40 वर्षों से काबिज काश्त है, जिस पर प्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के बाड़े वगैरह बने हुए है जिस पर मवेशी बंधते है तथा चारा व अन्य सामग्री पड़ी हुई है तथा कृषि कार्य के रूप में प्रयोग की जा रही है। विवादित भूमि मौके पर काबिल काश्त है। उक्त आराजी पर श्री कालू पुत्र श्री माधू भील ने अपने रहवासी मकान बना रखे है। उन्होंने आगे कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोन्डेन्ट्स के पति/पिता के पक्ष में कर दिया गया किन्तु उनकों कभी भी न तो कब्जा दिया गया तथा न ही राजस्व रेकार्ड में उक्त आवंटन आदेश हुआ अर्थात् भूमि सिवायचक ही दर्ज रही, आवंटन के पश्चात् लगभग 21 वर्षों से अधिक अवधि तक आवंटी जीवित रहा तो भी उसने कोई कार्यवाही नहीं की ना ही उक्त आराजी सिवायचक के रूप में ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही। उन्होंने कथन किया कि हाल ही में वर्ष 2014 में आवंटी के वारिसान द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष दिनांक 02.05.2014 को खातेदारी घोषणा बाबत् प्रस्तुत कर विवादित भूमि की खातेदारी चाही तथा राजस्थान सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए नायब तहसीलदार की ओर से जवाब

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि आवंटी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 645/15 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन चाहा था, इस संबंध में आवंटन कमेटी किसी भी काबिल काश्त सिवायचक भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित करने हेतु स्वंतत्र है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में नहीं है यदि कुछ भू भाग पर वे काबिज भी है तो बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो कपटपूर्वक तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो विवादित भूमि के आवंटन बाबत् रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय दर्जे खर्चे के निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 19.01.1983 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता होना उजागर नहीं हुआ है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि आवंटी को उनके पक्ष में आवंटित भूमि का कब्जा नहीं संभलाया गया, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड में सुपुर्दगीनामा व पटवारी रिपोर्ट संलग्न है। जहां तक राजस्व रेकार्ड में आवंटित भूमि के अंकन का प्रश्न है, इसका उत्तरदायित्व अप्रार्थीगण का न होकर राजस्व एजेन्सी का है। हम वकील अप्रार्थीगण के इन कथनों से सहमत है कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो तथ्यों को छिपा कर मिथ्या कथनों के आधार पर करवाया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेकार्ड पर इस प्रकार के कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए है।

फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जहां तक आवंटन नियमों की पालना एवं कब्जे काश्त का प्रश्न है। तहसीलदार सावर को आदेशित किया जाता है कि वे रेकार्ड एवं मौके का निरीक्षण करें तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई हो तो नियमानुसार स्वयं के स्तर पर नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner